

उत्तराखण्ड सरकार,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
संख्या: /स्था0(वा0स्था0अधिनियम-2017(सं0-1वर्ष-2018)/2022
देहरादून: दिनांक: 07 जुलाई, 2022

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, देहरादून के पत्र संख्या: 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक: 08 अप्रैल, 2022 एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 20917/2922 दिनांक 30 जून, 2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन वार्षिक स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (सं0-01 वर्ष-2018) के सापेक्ष निम्न तालिका में अंकित निम्न अर्थ एवं संख्याधिकारी का पारस्परिक स्थानान्तरण (अनुरोध पर) उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित तैनाती केन्द्र में किया जाता है:-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम सुश्री:- | वर्तमान तैनाती का जनपद/केन्द्र | स्थानान्तरण के उपरान्त नवीन तैनाती का जनपद/केन्द्र | आधार |
|----------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | निरंजन प्रसाद | जनपद- रुद्रप्रयाग | जनपद-पिथौरागढ़ | पारस्परिक स्थानान्तरण (अनुरोध पर) |
| 2 | संदीप भट्ट | जनपद-पिथौरागढ़ | जनपद- रुद्रप्रयाग | |

2- सम्बन्धित अधिकारी कृपया आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित अर्थ एवं संख्याधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दें।

3- स्थानान्तरित अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यभार ग्रहण अवधि(Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही उपभोग करेंगे।

4- स्थानान्तरित अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यमुक्त के उपरान्त केवल (Joining Time) का ही उपभोग करेंगे, संबंधित कार्मिक को अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5- संबंधित अर्थ एवं संख्याधिकारी का स्थानान्तरण पारस्परिक अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिये उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु वास्तविक समय देय होगा, परन्तु यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

ह0/-
(सुशील कुमार)
निदेशक


क्रमशः—2/-

(2)

संख्या: 689 / स्था0(वा0स्था0अधिनियम-2017(सं0-1वर्ष-2018)/2022 दिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मण्डल हल्द्वानी(नैनीताल)।
- 4- उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
- 5- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग/पिथौरागढ़।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग/पिथौरागढ़।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/पिथौरागढ़।
- 8- अर्थ एवं संख्याधिकारी, रुद्रप्रयाग/पिथौरागढ़।
- 9- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
- 10- वेब इन्फोरमेशन अधिकारी, अर्थ एवं संख्या निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 11- व्यक्तिगत/स्थापना पत्रावली।


निदेशक
अर्थ एवं संख्या।

उत्तराखण्ड सरकार,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
संख्या: /स्था0(वा0स्था0अधिनियम-2017(सं0-1वर्ष-2018)/2022
देहरादून: दिनांक: 07 जुलाई, 2022
कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, देहरादून के पत्र संख्या: 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक: 08 अप्रैल, 2022 एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 20917/2922 दिनांक 30 जून, 2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में वार्षिक स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (सं0-01 वर्ष-2018) के सापेक्ष निम्न तालिका में अंकित अपर सांख्यिकीय अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित तैनाती केन्द्र में किया जाता है:-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम सर्वश्री:- | वर्तमान तैनाती का जनपद/केन्द्र | स्थानान्तरण के उपरान्त नवीन तैनाती का जनपद/केन्द्र | आधार | अभ्युक्ति/ टिप्पणी |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | श्वेतांक प्रताप सिंह | निदेशालय, देहरादून | जनपद-चमोली | जनहित | - |
| 2 | भूपाल सिंह | जनपद-देहरादून | जनपद-चमोली | जनहित | - |
| 3 | सुरेश कुमार गोयल | निदेशालय, देहरादून | जनपद-बागेश्वर | जनहित | - |
| 4 | राजीव शर्मा | जनपद-उत्तरकाशी | जनपद-देहरादून | जनहित | - |
| 5 | कमलेश कुमार | जनपद- पौड़ी गढ़वाल | जनपद- रुधमसिंह नगर | जनहित | श्री शेर सिंह नेगी के अर्थ एवं संख्याधिकारी पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद के अधीन रहेगी। |
| 6 | धीरज गुप्ता | जनपद-चमोली | जनपद-देहरादून | जनहित | डॉ0 मोनिका श्रीवास्तव के अर्थ एवं संख्याधिकारी पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद के अधीन रहेगी। |
| 7 | धीरेन्द्र प्रताप सिंह | मण्डल कार्यालय पौड़ी गढ़वाल | अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून | जनहित | - |

2- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी कृपया आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालन आख्या से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

B.S.Bisfi(CAO)

Handwritten signature

Handwritten signature


- 3- स्थानान्तरित कार्मिक कार्यभार ग्रहण अवधि(Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही उपभोग करेंगे।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त के उपरान्त केवल (Joining Time) का ही उपभोग करेंगे, संबंधित कार्मिक को अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 5- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 6- सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने वाले कार्मिकों को दुर्गम क्षेत्र में तैनाती सम्बन्धी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

ह0/-
(सुशील कुमार)
निदेशक

संख्या: 690 / स्था0(वा0स्था0अधिनियम-2017(सं0-1वर्ष-2018)/2022 दिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मण्डल हल्द्वानी/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर ट्रैजरी, देहरादून/जनपद-देहरादून/चमोली/बागेश्वर/ऊधमसिंह नगर।
- 5- अर्थ एवं संख्याधिकारी, देहरादून/चमोली/बागेश्वर/ऊधमसिंह नगर।
- 6- अर्थ एवं संख्याधिकारी(आहरण वितरण) अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून।
- 7- समस्त सम्बन्धित अपर सांख्यिकी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- वेब इन्फोरमेशन अधिकारी, अर्थ एवं संख्या निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 9- व्यक्तिगत/स्थापना पत्रावली।


निदेशक,
अर्थ एवं संख्या।

उत्तराखण्ड सरकार,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
संख्या: /स्था0(वा0स्था0अधिनियम-2017(सं0-1वर्ष-2018)/2022
देहरादून: दिनांक: 07 जुलाई, 2022

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, देहरादून के पत्र संख्या: 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक: 08 अप्रैल, 2022 एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 20917/2922 दिनांक 30 जून, 2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन वार्षिक स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (सं0-01 वर्ष-2018) के सापेक्ष निम्न तालिका में अंकित कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित तैनाती केन्द्र में किया जाता है:-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम सुश्री:- | वर्तमान तैनाती का जनपद/केन्द्र | स्थानान्तरण के उपरान्त नवीन तैनाती का जनपद/केन्द्र | आधार |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | किरण ओझा | अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून | कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, चम्पावत | अनुरोध पर |

- 2- सम्बन्धित कार्मिक अधिकारी कृपया आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालन आख्या से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक कार्यभार ग्रहण अवधि(Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही उपभोग करेंगे।
- 4- स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त के उपरान्त केवल (Joining Time) का ही उपभोग करेंगे, संबंधित कार्मिक को अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 5- सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने वाले कार्मिकों को दुर्गम क्षेत्र में तैनाती सम्बन्धी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 6- संबंधित कार्मिक का स्थानान्तरण अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिये उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु वास्तविक समय देय होगा, परन्तु यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

ह0/-
(सुशील कुमार)
निदेशक


क्रमशः---2/-

(2)

संख्या: 691 / स्था0(वा0स्था0अधिनियम-2017(सं0-1वर्ष-2018)/2022 दिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मण्डल हल्द्वानी/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर ट्रैजरी, देहरादून/जनपद-चम्पावत।
- 5- अर्थ एवं संख्याधिकारी, चम्पावत।
- 6- अर्थ एवं संख्याधिकारी(आहरण वितरण) अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून।
- 7- संबंधित कनिष्ठ सहायक द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- वेब इन्फोरमेशन अधिकारी, अर्थ एवं संख्या निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 9- व्यक्तिगत/स्थापना पत्रावली।


निदेशक,
अर्थ एवं संख्या।

उत्तराखण्ड सरकार,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
संख्या: /स्था0(वा0स्था0अधिनियम-2017(सं0-1वर्ष-2018)/2022
देहरादून: दिनांक: 07 जुलाई, 2022
कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, देहरादून के पत्र संख्या: 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक: 08 अप्रैल, 2022 एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 20917/2922 दिनांक 30 जून, 2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन वार्षिक स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (सं0-01 वर्ष-2018) के सापेक्ष निम्न तालिका में अंकित वाहन चालक का स्थानान्तरण उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित तैनाती केन्द्र में किया जाता है:-

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम सुश्री:- | वर्तमान तैनाती का जनपद/केन्द्र | स्थानान्तरण के उपरान्त नवीन तैनाती का जनपद/केन्द्र | आधार |
|-------------|----------------------------|---|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | शिव बचन | कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, नैनीताल | कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, ऊधमसिंह नगर | अनुरोध पर |

2- सम्बन्धित कार्मिक कृपया आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त कर दें।

3- स्थानान्तरित कार्मिक कार्यभार ग्रहण अवधि(Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही उपभोग करेंगे।

4- स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त के उपरान्त केवल (Joining Time) का ही उपभोग करेंगे, संबंधित कार्मिक को अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5- संबंधित कार्मिक का स्थानान्तरण अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिये उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु वास्तविक समय देय होगा, परन्तु यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

ह0/-
(सुशील कुमार)
निदेशक




(2)

संख्या: 692 / स्था0(वा0स्था0अधिनियम-2017(सं0-1वर्ष-2018)/2022 दिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मण्डल हल्द्वानी(नैनीताल)।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
- 5- अर्थ एवं संख्याधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
- 6- सम्बन्धित वाहन चालक द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
- 7- वेब इन्फोरमेशन अधिकारी, अर्थ एवं संख्या निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 8- व्यक्तिगत/स्थापना पत्रावली।


निदेशक,
अर्थ एवं संख्या।